

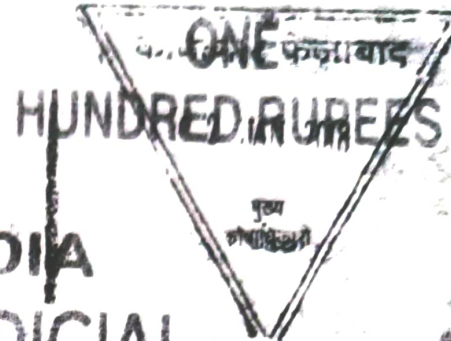
एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



DW 139704

ट्रस्ट डीड-न्यास पत्र

यह अभिलेख आज दिनांक 20.01.2018 को श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रदीप कुमार सिंह निवासी 6/13/67, चंदेलभवन देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित किया गया है।

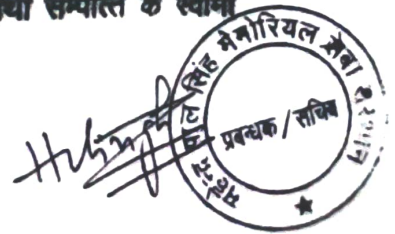
1. ट्रस्ट का नाम :: महेन्द्र पाल सिंह मेमोरियल सेवा संस्थान
2. ट्रस्ट का पता :: 6/13/67, चंदेल भवन देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद, उ0प्र0।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन

ट्रस्ट में लगाया गया धन 21,000/- रुपये (इक्कीस हजार रुपये) नगद धनराशि श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है। भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है। जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

4. ट्रस्ट के तत्व

मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उद्देश्य विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट का स्वामी अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

[Handwritten signature]



तिथि 25.1.18 7057 कीमत 100000

नाम केता इविनदीप सिंह डा. प्रदीप कुमार सिंह
शामिल 200
स्टाम्प विक्रेता का नाम-अजित कुमार लॉ. 26/15
बिक्री का स्थान-कलेक्ट्रेट कम्पाउंड, फैजपुरा
लाइसेंस की अंश 01/04/17 से 31/3/18 तक

हस्ताक्षर के साथ ही 100000 रुपये का चेक प्रस्तुत किया जायेगा
हस्ताक्षर के साथ ही 100000 रुपये का चेक प्रस्तुत किया जायेगा

जे.

हस्ताक्षर



नाम केता
शामिल 200
स्टाम्प विक्रेता का नाम-अजित कुमार लॉ. 26/15
बिक्री का स्थान-कलेक्ट्रेट कम्पाउंड, फैजपुरा
लाइसेंस की अंश 01/04/17 से 31/3/18 तक

हस्ताक्षर के साथ ही 100000 रुपये का चेक प्रस्तुत किया जायेगा
हस्ताक्षर के साथ ही 100000 रुपये का चेक प्रस्तुत किया जायेगा

रु 100



Rs. 100

कोषाध्यक्ष फैजाबाद
ONE
02 JAN 2018
HUNDRED RUPEES
कोषाध्यक्ष

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

(2)

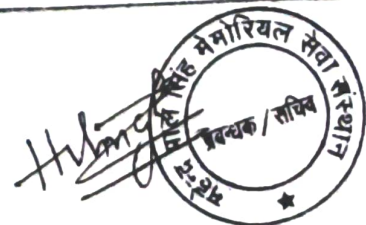
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 139715

उपरोक्त अधिनियत एवं तत्त्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे जिसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अथवा प्रबन्धकारिणी कहा जायेगा जो ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त प्रतिष्ठानों को संचालित एवं नियोजित करेगा।

1	श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रदीप कुमार सिंह निवासी 8/13/67, चंदेलभवन देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद।	मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव
2	श्री संदीप कुमार सिंह पुत्र स्व० महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-कन्नूपुर जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर।	अध्यक्ष
3	श्री दिलीप कुमार सिंह पुत्र स्व० महेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-कन्नूपुर जलालपुर, जिला-अम्बेडकर नगर।	उपाध्यक्ष
4	श्रीमती आकांक्षा सिंह पत्नी श्री हर्षवर्धन सिंह निवासी 8/13/67, चंदेलभवन देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद।	कोषाध्यक्ष
5	श्रीमती राधिका सिंह पत्नी श्री प्रदीप कुमार सिंह निवासी 8/13/67, चंदेलभवन देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद।	सदस्य

[Handwritten signature]



2012

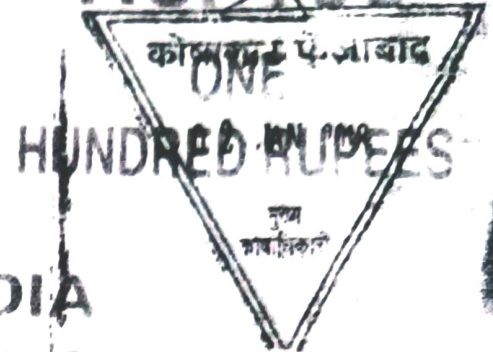
W.

भारतीय गैर न्यायिक

रु. 100



Rs. 100



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

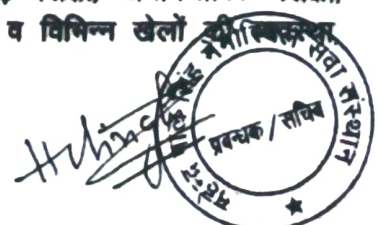
DW 13971

6	श्री अमित कुमार सिंह पुत्र स्व० मंगला सिंह ग्राम-धनघटा, पोस्ट-केशवपुर, थाना- अतरौलिया, तहसील-बूढ़नपुर, आजमगढ़।	सदस्य
7	श्री देवेश मनुचा पुत्र स्व० राजकृष्ण मनुचा निवासी 1203, मनुचा हाऊस देवकाली रोड, जिला-फैजाबाद।	सदस्य
8	श्री राजेन्द्र जायसवाल पुत्र श्री राम बहाल जायसवाल निवासी न्यू कालोनी जोगीतास रोड, जिला-फैजाबाद।	सदस्य
9	श्री गीत श्रीवास्तव पुत्र श्री अवधेश लाल श्रीवास्तव निवासी म० नं०-25, रानोपाली, जिला-फैजाबाद।	सदस्य

5. ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की संस्थाओं की स्थापना करना।

Handwritten signature



तिथि १६/०५/७२ १२ वासे
 नाम कंत
 शनिवार ६/५/७२ १२ वासे
 काशी १६/०५/७२ १२ वासे
 बिहीर १६/०५/७२ १२ वासे
 लाहौर १६/०५/७२ १२ वासे



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

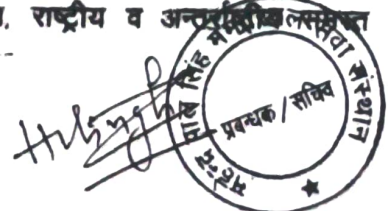
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(४)

DW 13971

क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा इस सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, अध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान, सहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंगहोम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदों में जिला राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का स समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०, बी०ए०ड०, बी०पी०ए०ड० कालेज सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से बन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से छार्ज करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

H. Singh





भारतीय

एक सौ रुपये

रु 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

कोषागार

ONE

02 JAN 2018

HUNDRED RUPEES

भारत

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

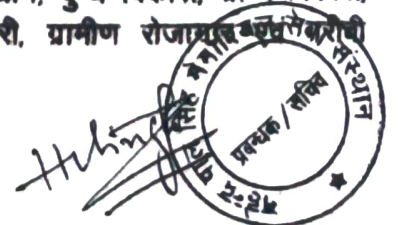
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(५)

DN 139712

कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा-आश्रम, अनाथालय, वृद्ध-आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुशीलियों, बुराईयों, अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय-साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उद्बुधन, सहकारिता, उर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं सहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बालविकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म, खेल-कूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमिविकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार सृजन

H. Singh



दिनांक १५-१०-२०१८ कोमत १०० वास्तु
 नाम केता इविकन किं क प्रवीर ठुण्ण किं प्रचर कदेउपाका किं न
 शामिल न०
 स्टाम्प प्रिन्ट आसल कुमा ५
 बिपरी का स्थान-कलेक्ट कमा ५ फिनाइल
 लाइसेंस की अवधि ०१/०४ से ३१/०३ तक
 हस्ताक्षर

हेका प्रो-पान C/1376 चं देला नका है

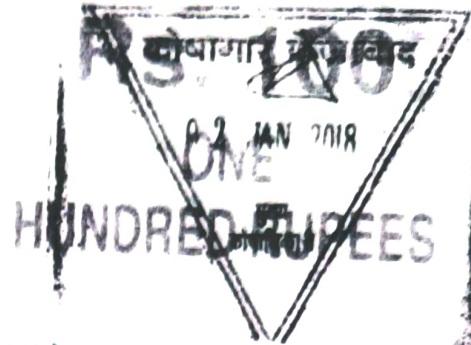


भारतीय

₹ 100



सत्यमेव जयते



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(६)

DW 139710

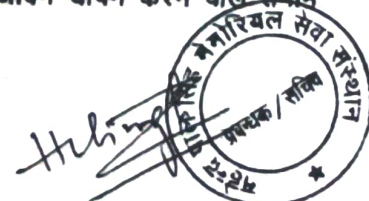
उन्मूलन, नागरिक सुस्वा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेजयल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट-सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1981 की धारा-13(1) तथा धारा-11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक, तकनीकी चिकित्सा व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/ निजी विश्वविद्यालय केन्द्रों आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

Handwritten signature



तिथि २५ जून ७३९५ सी.स. १००
 नाम कृत: इविचलितित प्रीयुता नि प्रक-व न कहेदपन नि मीरिनि
 शामिल न०.....
 स्थाय किंता * निर-अनिल कुता ३. सेवा सीटम ६/११६ पंदेलनन देव नली.
 बिक्री का स्थान-कलेक्ट करान १०००००
 लाइसेंस की अवधि ०१.०४.११ से ३१.३.१३ तक

A
 २०००

जो



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

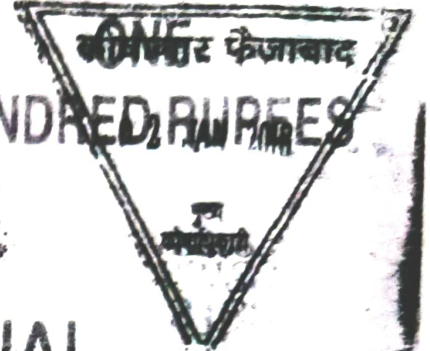
Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

HUNDRED RUPEES



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

DW 139701

16. ट्रस्ट कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण भारत

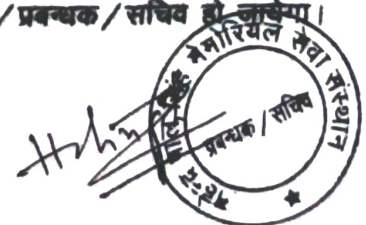
17. ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा किया गया धन एवं दान आदि को धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाता किसी भी बैंक में जमा की जायेगी जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। धनराशि के लेन-देन करने तथा बैंक खाता के संचालन मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के किसी एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा अथवा मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा नामित किसी सदस्य द्वारा किया जायेगा।
2. इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

18. ट्रस्टियों की नियुक्ति

सभी ट्रस्टी पदाधिकारी/सदस्य आजीवन सदस्य होंगे, किसी भी सदस्य के मृत्यु उपरान्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी को सम्मिलित कर सकता है जिसके लिये मुल्य पाँच लाख रुपये होगा। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा उनके उत्तराधिकारी को नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार स्वतः प्रदत्त होगा, मुख्य ट्रस्टी के आकस्मिक मृत्यु पर उनका विधिक उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का स्वतः मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव हो जायेगा।

H. Singh



दिनांक 25/01/87 7284

शान्ति

सदस्य विवेक का नाम अजय कुमार

विशेषी का नाम कलेक्टर कानपुर

लाइसेंस की अवधि 01.04.17 से 31.3.18 तक

हस्ताक्षर

इस वर्यत निदेश प्रदीप कुमार सिंह 500000 नई 3 फासिहें सीसीएल
लेवा 6/4/87 6/13/67 चंदेलगमन देव गमनी

W



भारतीय गैर न्यायिक

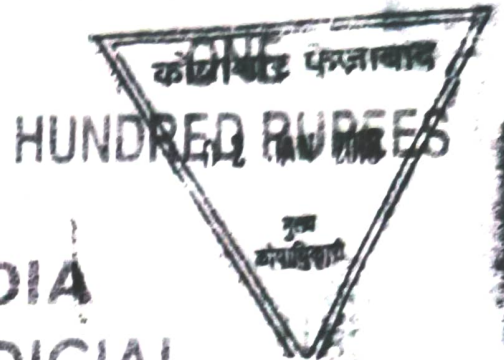
एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(८)

DN 139700

9. संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य तकनीकी संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे, की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष मिलकर करेंगे।

10. ट्रस्ट प्रमुख

श्री हर्षवर्धन सिंह पुत्र श्री प्रदीप कुमार सिंह इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव कहे जायेंगे जो ट्रस्ट प्रमुख होंगे उनके मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव होगा।

11. ट्रस्ट की बैठक

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यवाही की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को 03 दिन पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है, बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलाई जायेगी बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना आवश्यक है।

12. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यवाही के अधिकारी एवं कर्तव्य

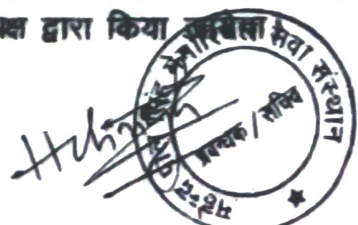
1. अध्यक्ष

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करेंगे तथा मीटिंग बुलाने हेतु मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव को निर्देशित करेंगे।

2. उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों का सम्पादन उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा

Handwritten signature



25/5/18 7283

विधि २५/५/१८ ७२८३
वा. २५/५/१८ ७२८३
शक्ति २५/५/१८ ७२८३
समा. विवेक २५/५/१८ ७२८३
विधि २५/५/१८ ७२८३
लाइसेंस २५/५/१८ ७२८३

है। संख्या ७/१३/८ यंत्रणाओं के
म.

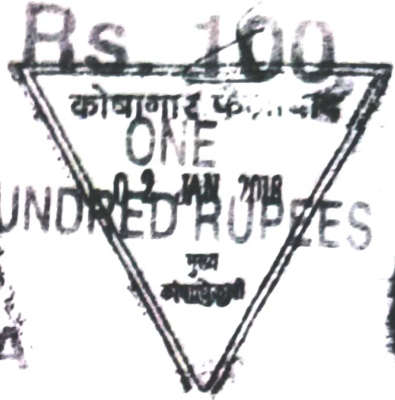
A



भारतीय

एक सौ रुपये

रु. 100



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

DW 139694

3. मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव

- 1 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
- 2 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
- 3 : किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव एक निर्णयक मत देना।
- 4 : आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 5 : ट्रस्ट के विकास के सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 6 : ट्रस्ट (न्यास) की बाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्यास के विकास के लिए विभिन्न संसाधन एकत्रित करना व ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

Handwritten signature



25/5/18 7382 100

लिपि
नाम
शक्ति
स्वाय विरोध
विप्री का
लाइसेंस का अर्थ 01.04.17 से 31.03.18 तक

हर्ष व धीन कि 5 प्रीप हुना कि प्रबंधन महेउ फल कि हे मो सि
लेवा हे स्थान 6/13/63 चंदे लका का देव

रड



भारतीय

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

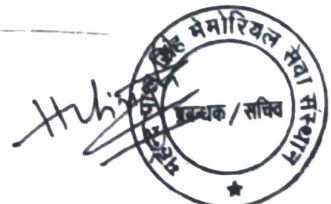
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(१०)

DW 139707

- 7 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि-भवन का क्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तर्हित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।
- 8 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 9 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सहर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
- 10 : संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के पास होगा।

Handwritten signature



95508 7290 कीमत 100 वास्ते

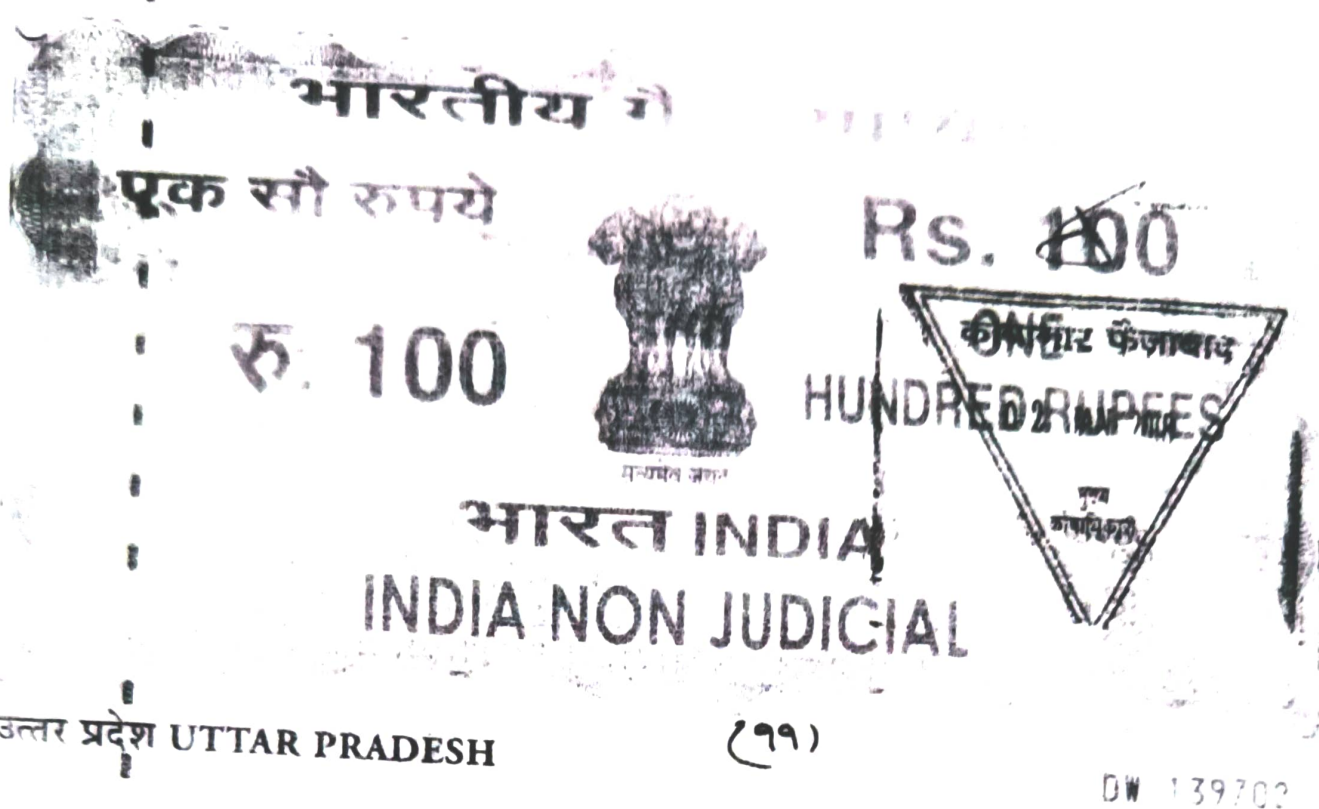
तिथि 25/5/68
वास्तु केला 5 वकील गिर ह-प दीप
शामिल जे 0

स्टाम्प विक्रेता का नाम-अनिल कुमार जा. 26.2.5
दिनांक का स्थान-कलेक्ट्रेट कम्पाउंड, फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि 01.04.67 से 31.3.75 तक

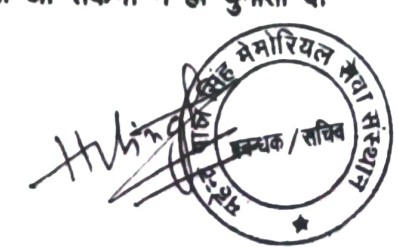
हस्ताक्षर





- 11 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्रावधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 12 : किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
- 13 : ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- 14 : ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रिया-कलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

Handwritten signature



१. सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण १९५० ई. में हुआ।
 २. सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश कहलाता है।
 ३. सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण संविधान के अनुच्छेद ७३ के तहत हुआ।
 ४. सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण संविधान के अनुच्छेद ७३ के तहत हुआ।
 ५. सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण संविधान के अनुच्छेद ७३ के तहत हुआ।

ਮੇਰਾ ਨਿਰਪਾਤਰ ਅਤੇ ਉਪਾਧਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਦੇਵਾ ਦੇਵੀ ॥ ८/१३/८० ॥ ਦਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ॥

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

कोषाध्यक्ष केजाबाद

ONE

07 JAN 2008

HUNDRED RUPEES

मुद्रा
कोषाध्यक्ष

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(92)

DW 139708

15 : ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रम, क्रिया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबल कार्यों में व्यय करना।

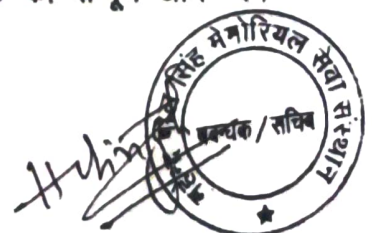
16 : ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव की असामयिक अथवा स्वामयिक मृत्यु के पश्चात् उसका विधिक उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा।

17 : ट्रस्ट के ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व एवं वादी की पैरवी करना।

18 : संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चेकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, विल बाउचर पर हस्ताक्षर करना।

4. कोषाध्यक्ष 1 : मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के मार्गदर्शन तथा निर्देशन में कोषाध्यक्ष ट्रस्ट का सम्पूर्ण आय व्यय का लेखा-जोखा रखेगा।

Handwritten signature



दि. 25.5.18 2091 100

नाम के. प्रदीप कुमार शर्मा 100

शामिल व. 26.2.15
स्टाफ के. प्रदीप कुमार शर्मा 26.2.15
वि. का स्था. कलेक्टर का. प्रदीप कुमार शर्मा 26.2.15
लाइसेंस की अवधि 01.04.17 से 31.3.18 तक

मेमोरियल सेवा से. 6/13/6)

चन्देल ज. 15 दे. 10/1/18

हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(१३)

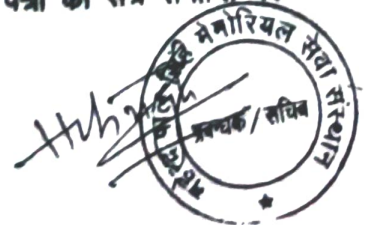
DW 139705

- 2 : बैंक, डाकघर तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के सम्पर्क में रहकर ट्रस्ट के खातों का एकाउन्ट स्टेटमेन्ट प्राप्त करेगा।
- 3 : ट्रस्ट निधि की अभिरक्षा करेगा तथा उसके संबंध में पदाधिकारियों एवं अन्य ट्रस्टियों को अवगत करायेगा, साथ ही साथ ट्रस्ट की आर्थिक अभिवृद्धि हेतु आर्थिक संसाधन का उपाय सुझायेगा।
- 4 : ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले समाज तथा विभिन्न संस्थाओं प्रतिष्ठानों से आय, अनुदान, चन्दा इत्यादि का भी लेखा-जोखा रखेगा।
- 5 : कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा कि समस्त आय-व्यय ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव के संज्ञान में रहे।
- 5.. सदस्य ट्रस्टी : बैठकों में भाग लेकर ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

13. लेखा परीक्षक :

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार ऑडिट आवि करवायेगा। संस्था के आय-व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

Handwritten signature



1/25/2018

पृष्ठ नम्बर 62

न्यास पत्र

प्रतिफल - 21000 स्टाम्प शुल्क - 1500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 420 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 500

तिथि 25/01/18 7:58 जीमिन 100 जस्ता

नाम श्री हरचरण सिंह अर्थात् श्री 5214 जमान सिंह

शायिन श्री प्रदीप कुमार सिंह

स्टाम्प विलेखन व्यापार - अनिल कुमार नं. 26/215

दिनांक 25/01/18 बड़े अक्करोपकारी रोड फैजाबाद

लाइसेंस की अवधि 01/04/18 से 01/04/19

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/01/2018 को 05:10:34 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मिर्झा सिंह
उप निबंधक : सदर
फैजाबाद



भारतीय न्यायिक

एक सा रुपय

Rs. ~~100~~

100



पञ्चमोऽथोऽध्यायः

~~HUNDRED RUPEES~~

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

(78)

DW 139704

14. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्त्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरूप होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे। संचालित संस्थान/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. प्रबन्धक/सचिव
4. कोषाध्यक्ष
5. सदस्य

सदस्य सात
कुल सदस्य / पदाधिकारियों की संख्या 11
की होगी।



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजसुन व प्राप्त भनसिंह व प्रतीकानुसार उक्त
न्यासी: 1

तिथि २५/१/१९

श्री ४०७४-४०७५ ई. श्री पुष्पेश्वर कृष्ण सिंह

बाल सेवा

शान्तिनगर २०००

सत्य विजयः

बिचौरी का खजाना-२

साइमन की अवधि

विवासी: सा. ६४/३५७ चंदेसु भवन देवगढी नगरपालिका

व्यवस्थापक व्यापार
- अजित कुमार

कलेक्ट्रेट कमांड : ३, फैजाबाद.

न निष्पादन स्वीकार किया। जिन्की पहचान
पहचानकर्ता :।

श्री विजय कुमार सिंह, पुत्र श्री रविन्द्र नाथ सिंह

निवासी: सा. 7/4/27 छोटा रमना ओमपुरम कालोनी फैजाबाद

व्यवसायः व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री गीत श्रीवास्तव, पुत्र श्री अवधेश लाल श्रीवास्तव

निवासी: सा. 25 रानोपाली अयोध्या फैजाबाद

व्यवसायः अध्ययन

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विर्मल सिंह

उप निर्बंधक : सदर
फैजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(१५)

DN 130717

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा लिया गया व्यय निर्णय सर्वमान्य होगा, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के विरोधी गतिविधियों सम्मिलित पाया जाता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत निष्कासित कर सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिकार देने हेतु सक्षम होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीठ मुख्य ट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अ-

पने पूर्ण होश इयास में परिवारी जनों से सलाह महावरा कर के लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

रजिस्टर्ड तारीख-25.01.2018, रु. 100/- (१,५००)

डा. 25/01/18

डा. 25/01/18



मि. 1/1/18
मि. 1/1/18
मि. 1/1/18
मि. 1/1/18
मि. 1/1/18



गीत श्रीवास्तव
पुत्र श्रीवास्तव
पता- नं. 15 रा. नो. 1
पु. म. 2/1/18 श्रीवास्तव



22-9-2018 ई.
रजिस्ट्रार जनरल
मुद्रांक संख्या 07/2018
देनांक 22-9-2018 तक
जिला और तहसील उप निम्नलिखित
इजाजत दी गई है कि निम्नलिखित
प्रमाण पत्र के द्वारा

वही संख्या 4 जिल्ह संख्या 433 के पृष्ठ 353 से 354 तक समाक
20 पर दिनांक 25/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

25/04/2018 100

निर्णय नं. 433/2018 के पृष्ठ 353 से 354 तक समाक
20 पर दिनांक 25/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

दिनांक 6/11/2018

निर्णय नं. 433/2018 के पृष्ठ 353 से 354 तक समाक
20 पर दिनांक 25/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

Pratiksha
Principal
Pratiksha Pandey
Sangyan Global Academy
Karnal, Haryana

